कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दें। अंतिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व 10,000/– रू0 की धनराशि नकद जमा करनी होगी। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी, उसकी धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।

3. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा, जो धनराशि जमा करेगा।

4. नीलाम होने वाले वाहनों को नीलामी से एक दिन पूर्व अर्थात दिनॉंक 16.09.2016 को अपरान्ह 3:00 से 4:00 बजे तक न्यायालय परिसर में देखा जा सकता है।

5. बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह बोली बोलने से पूर्व उक्त वाहन का निरीक्षण कर ले।

6. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी, उसे बोली की 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। यदि निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नही की गई तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर उच्चतम् बोली बोलने वाले को शेष धनराशि एक सप्ताह में जमा करनी होगी अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं वाहन की पुनः नीलामी की जायेगी।

8. वाहन की अन्तिम बोली जब तक माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित नही की जाती तब तक वाहन जनपद न्यायालय परिसर में ही रहेगा। केता अपने सन्तोष के लिये वाहन की देखरेख कर सकता है बाद में वाहनों के बारे में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

9. वाहन जहॉं है, जैसा है, की स्थिति में नीलाम होगा।

10. नीलाम किये गये वाहनो को उच्चतम् बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जायेगा जब उसने वाहन का पूरा भुगतान कर दिया हो और विभाग से वाहन ले जाने की अनुमति ले ली हो।

11. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी स्वीकार होगी उस व्यक्ति को परिवहन विभाग से वाहन अपने नाम हस्तान्तरित (Transfer) कराने के पश्चात पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के अन्दर वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।

12. उच्चतम् बोली बोलने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह जनपद न्यायालय के नाम का प्रयोग किसी भी प्रकार से नहीं करेगा तथा यदि वाहन को नष्ट करना/स्क्रेप के रूप में प्रयोग करना चाहता है तो इसकी सूचना भी नियमानुसार सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी को प्रेषित करेगा।

13. उच्चतम् बोली बोलने वाला व्यक्ति नीलाम वाहन के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा, यदि भविष्य में कोई घटना घटित होती है तो उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

14. उपरोक्त नीलामी शर्तो के विषय में यदि कोई विवाद उठता है तो माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

15. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार, हाथरस होगा।

16. नियमानुसार अन्य कर, जिसके पक्ष में नीलामी हुई है, के द्वारा देय होगा।

17. वाहन का न्यूनतम् निर्धारित मूल्य नीलामी के समय बताया जायेगा।

(अल्ला रक्खे खाँ)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, हाथरस।
19.8.16

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नीलामी की सूचना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अपने कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

1. जनपद न्यायाधीश एवं मुंसिफी, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. कार्यालय जिलाधिकारी, हाथरस।
3. कार्यालय पुलिस अधीक्षक, हाथरस।
4. नगर पालिका, हाथरस।
5. तहसील, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।

अवलोकित एवं अनुमोदित
19.8.16
जनपद न्यायाधीश
हाथरस

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, हाथरस।
19.8.16